

(152)

सेवा में,

दिनांक - 20.02.2017

श्रीमान, निदेशक
भारतीय वन्यजीव संस्थान
चन्द्रबनी, देहरादून उत्तराखण्ड।

विषय- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अखबारों की खबरों से यह प्रतीत होता है, कि इण्डियन-नजीबाबाद हाईवे में बहुत संख्या में वन्यजीव मरे हुए पाए जाते हैं। इस सन्दर्भ में भारतीय वन्यजीव संस्थान शोध कार्य कर रहा है। कृपया शोध कार्य का शारांश हमें शीघ्र प्रदान करने कष्ट करें। इसमें जो भी शुल्क होगा वह प्रार्थी की ओर से देय होगा।

प्रार्थी
Rajiv Mehta

राजीव मेहता

प्रमुख पदाधिकारी

ऑपरेशन आई ऑफ द टाईगर-इण्डिया

~~असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, तमिल नाडु, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम~~
चिवा रेसीडेन्सी रेलवे स्टेशन हरिद्वार

Dr. Anju Koushik
Chm

1/11 see information
from A Koushik Pandey

(Signature)
mkh

DWII OFFICE
DIARY NO.: 284
DATE: 27/2/17

WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA
Right to Information Act, 2005

Apl. No. 66 Ctr. IV Year 2016-17
Fee 10/- Inward Date 27/02/2016